

Vol 3 Issue 4 Oct 2013

Impact Factor : 1.2018 (GISI)

ISSN No :2231-5063

Monthly Multidisciplinary
Research Journal

*Golden Research
Thoughts*

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

IMPACT FACTOR : 0.2105

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595

ISSN No.2230-7850

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho Federal University of Rondonia, Brazil	Mohammad Hailat Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken, Aiken SC 29801	Hasan Baktir English Language and Literature Department, Kayseri
Kamani Perera Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka	Abdullah Sabbagh Engineering Studies, Sydney	Ghayoor Abbas Chotana Department of Chemistry, Lahore University of Management Sciences [PK]
Janaki Sinnasamy Librarian, University of Malaya [Malaysia]	Catalina Neculai University of Coventry, UK	Anna Maria Constantinovici AL. I. Cuza University, Romania
Romona Mihaila Spiru Haret University, Romania	Ecaterina Patrascu Spiru Haret University, Bucharest	Horia Patrascu Spiru Haret University, Bucharest, Romania
Delia Serbescu Spiru Haret University, Bucharest, Romania	Loredana Bosca Spiru Haret University, Romania	Ilie Pintea, Spiru Haret University, Romania
Anurag Misra DBS College, Kanpur	Fabricio Moraes de Almeida Federal University of Rondonia, Brazil	Xiaohua Yang PhD, USA
Titus Pop	George - Calin SERITAN Postdoctoral Researcher	Nawab Ali Khan College of Business Administration

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India	Iresh Swami Ex - VC. Solapur University, Solapur	Rajendra Shendge Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur
R. R. Patil Head Geology Department Solapur University, Solapur	N.S. Dhaygude Ex. Prin. Dayanand College, Solapur	R. R. Yaliker Director Managment Institute, Solapur
Rama Bhosale Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel	Narendra Kadu Jt. Director Higher Education, Pune	Umesh Rajderkar Head Humanities & Social Science YCMOU, Nashik
Salve R. N. Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur	K. M. Bhandarkar Praful Patel College of Education, Gondia	S. R. Pandya Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai
Govind P. Shinde Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai	Sonal Singh Vikram University, Ujjain	Alka Darshan Shrivastava Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar
Chakane Sanjay Dnyaneshwar Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune	G. P. Patankar S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka	Rahul Shriram Sudke Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore
Awadhesh Kumar Shirotriya Secretary, Play India Play (Trust),Meerut	Maj. S. Bakhtiar Choudhary Director,Hyderabad AP India.	S.KANNAN Ph.D , Annamalai University,TN
	S.Parvathi Devi Ph.D.-University of Allahabad	Satish Kumar Kalhotra
	Sonal Singh	

**Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.net**



GRT मध्य प्रदेश में सरदार सरोवर बांध परियोजना से विस्थापित परिवारों की व्यवसायिक संरचना, रोजगार तथा आय की स्थिति का मूल्यांकन



सखाराम मुजाल्दे

वरिष्ठ व्याख्याता अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)

सारांश : विस्थापन एक ऐसी मानवीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य को किसी न किसी कारणवश एक स्थान से विस्थापित होकर किसी दूसरे स्थान पर पुनर्वासित होना पड़ता है। विस्थापन से तात्पर्य भिन्न-भिन्न काल खण्डों में भिन्न-भिन्न प्रकार का रहा है। प्राचीन समय में जब मनुष्य संगठित नहीं था, तब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना-जाना लगा रहता था। जैसे- भोजन की तलाश में जब तक एक स्थान पर मिलता था, तब तक रहते थे फिर भोजन की तलाश में अन्यत्र चले जाते थे। यह एक स्वेच्छिक विस्थापन था जिसमें प्रत्येक मनुष्य किसी पर दोषारोपण नहीं करता था। 'जैसे-जैसे मानव ने संगठित रूप में रहना शुरू किया जैसे-वैसे मनुष्यों की बुद्धि भी समयानुसार विकसित होती गयी। पूरा पाषाणकाल में जहाँ मनुष्य सीमित क्षेत्र व सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, वहीं दूसरी ओर नव पाषाणकाल में आग के आविष्कार तथा खेती करना प्रारंभ हो गया था जिसके चलते मनुष्य की बुद्धि विकसित होती गयी। प्राचीन समय में मौर्य काल, गुप्तवंश में सिंचाई का विकास हो चुका था। बड़े-बड़े तालाबों के माध्यम से जमीन की सिंचाई कर फसलों की पैदावार करते थे। लेकिन उस समय लोगों को विकास प्रक्रिया के फलस्वरूप विस्थापित नहीं होना पड़ता था। उस समय मानवीय विस्थापन तो युद्ध, राजनीति अराजकता, अकाल के फलस्वरूप अधिक हुआ करता था।'

प्रस्तावना :

स्वतंत्रता के बाद हमारे पूर्व स्व. प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास के नये आयाम शुरू किये, जिसे नेहरू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के रूप में जाना जाता है। नेहरू डेवलपमेंट (विकास) के अन्तर्गत कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु बड़े बाँध कर निर्माण, आधुनिक तौर तरीके अपनाने तथा वृहद उद्योगों की स्थापना के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देने का प्रयास था। यही वजह है कि नेहरूजी विकासोन्मुख (Model Development Oriented) व्यक्ति माने जाते थे। नेहरू डेवलपमेंट ने स्वतंत्रता पश्चात कृषि के लिये सिंचाई व्यवस्था हेतु वृहद बाँधों का निर्माण तथा दामोदर घाटी परियोजना प्रारम्भ की। इन बड़े बाँधों के सन्दर्भ में नेहरूजी द्वारा कहा गया कि ये आधुनिक भारत के "विकास के मन्दिर" हैं। चूँकि जब बड़े बाँधों का निर्माण शुरू हुआ तो भूमि विस्थापन के अनिवार्य अर्जन की आवश्यकता महसूस हुई। जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों के स्वामी परिवारों को अपने पैतृक स्थान से मजबूरन विस्थापित होना पड़ा एवं विस्थापन की पीड़ा बड़े बाँध के नकारात्मक पहलू के रूप में सामने आयी।

डूब क्षेत्र विस्तार (Extent of Submergence) :- तीनों राज्यों - गुजरात, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश का डूब में आने वाला क्षेत्र लगभग 37533 हेक्टेअर है। 7112 हेक्टेअर गुजरात में 9599 हेक्टेअर महाराष्ट्र में और 20822 हेक्टेअर क्षेत्र में मध्यप्रदेश में डूब में आयेगा। राज्यवार विभिन्न श्रेणी की भूमि जो डूब में आ रहा है उसका विवरण:-

तालिका क्रमांक 1 - डूब में आ रही विभिन्न श्रेणी की भूमि का विवरण राज्यवार (भूमि हेक्टेअर में)

भूमि का प्रकार	गुजरात	महाराष्ट्र	मध्यप्रदेश	कुल
1. कृषि भूमि	1877	1519	7883	11279
2. वन भूमि	4166	6488	2731	13385
3. अन्य भूमि नदीका कछार सहित	1069	1562	10208	12869
कुल भूमि	7112	9599	20822	37533

स्रोत :- नर्मदा भवन, भोपाल।

डूब में आ रही विभिन्न श्रेणी की भूमि का विवरण सरदार सरोवर परियोजनान्तर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की कृषि वन तथा कछार भूमि डूब में आ रही है जो कि उपरोक्त टेबल से स्पष्ट है। गुजरात की कृषि भूमि 1877 हेक्टेअर, महाराष्ट्र की 1519 हेक्टेअर तथा मध्य प्रदेश की 7883 हेक्टेअर। इस प्रकार कुल 11279 हेक्टेअर कृषि भूमि परियोजना से प्रभावित हो रही है। इसी

प्रकार वन भूमि गुजरात 4166, महाराष्ट्र की 6488 तथा मध्यप्रदेश की 2731 इस प्रकार कुल 13385 वनभूमि परियोजनान्तर्गत डूब से प्रभावित हो रही है। अन्य भूमि नदी का कछार सहित विवरण गुजरात 1069 हेक्टेअर, महाराष्ट्र 1592 हेक्टेअर तथा मध्यप्रदेश 10208 हेक्टेअर इस प्रकार कुल 12869 हेक्टेअर भूमि प्रभावित हो रही है। इस प्रकार गुजरात राज्य की कुल 7112 हेक्टेअर भूमि महाराष्ट्र राज्य की 9599 हेक्टेअर तथा मध्य प्रदेश राज्य की 20822 हेक्टेअर तथा कुल परियोजना से 37533 हेक्टेअर भूमि प्रभावित हो रही है।

प्रभावित गाँव और परिवार (Village & Families Effected) :- दिसम्बर 1989 के संशोधित बाँध निर्माण के कार्यक्रम के आधार पर सरदार सरोवर निर्माण परामर्श समिति (SSCAC) के अनुसार गुजरात, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के कुल 245 गाँव प्रभावित होंगे। निचले स्तर की झोपड़ियाँ, खेत आदि डूब में आयेगा जिन्हें पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना के अनुसार हर वर्ष व्यवस्थित किया जावेगा। प्रत्येक डूब में आने वाले गाँव की झोपड़ियाँ और खेत की गणना करके डूब के प्रभाव का आँकलन किया जायेगा। सभी डूब प्रभाति गाँवों के पुनः सर्वेक्षण का कार्य तीनों राज्यों में पूर्ण हो चुका है। अद्यतल जानकारी के अनुसार बाँध की ऊँचाई (FRLE.L. 455 Ft.) होने पर लगभग 40727 परिवार प्रभावित होंगे। राज्यवार डूब प्रभावित परिवारों (परियोजना से प्रभावित परिवार) की संख्या (PAFS) इस प्रकार है।

तालिका क्रमांक 2 - राज्यवार डूब प्रभावित परिवारों की संख्या

राज्य	सम्पूर्ण	आंशिक	कुल	पुनर्वासित परिवार जिनमें बहिन पुत्र / पुत्रियाँ भी शामिल है विल.94 की जानकारी के अनुसार	परियोजना से प्रभावित लोगों की संख्या
म.प्र.	1	192	193	33014	88796
महाराष्ट्र	-	33+	33+	3113	19650
गुजरात	3	16	19	4600	18000
कुल	4	241	245	40727	127446

स्रोत :- नर्मदा भवन, भोपाल।

म.प्र. में डूब में आने वाले 193 गाँवों में से 82 ग्राम 10 प्रतिशत से कम, 32 ग्राम 11 प्रतिशत से 25 प्रतिशत, 30 गाँव 26 प्रतिशत से 50 प्रतिशत, 14 गाँव 51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत, 4 गाँव 76 प्रतिशत से 90 प्रतिशत और 1 गाँव की 100 प्रतिशत कृषि भूमि डूब में आ रही है। 21 गाँव की आबादी जलभराव (Back Water) से और 9 गाँव में केवल सरकारी बेकार जमीन डूब में आयेगी।

महाराष्ट्र में 33 गाँवों में से 12 ग्रामों की 25 हेक्टेअर से कम भूमि चतपञ्जमद्व डूब में आयेगी। 6 गाँव की 50 हेक्टेअर से कम प्रायवेट भूमि डूब में

आयेगी और 1 गाँव डूब में आयेगा। इस प्रकार 33 गाँवों में से केवल 19 गाँव आंशिक रूप से डूब प्रभावित होंगे।

अनुसूचित जाति और जनजाति —: 3.4.1 प्रभावित जनसंख्या में सबसे अधिक संख्या में अनुसूचित जनजाति के लोग 100 प्रतिशत महाराष्ट्र और 97.4 प्रतिशत गुजरात में हैं। मध्य प्रदेश में 29 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति, 12 प्रतिशत अनुसूचित जाति की है।

तालिका क्रमांक 3 – तीनों राज्यों में अनुसूचित जाति और जनजाति की प्रभावित जनसंख्या

जाति	गुजरात राज्य	महाराष्ट्र राज्य	मध्य प्रदेश राज्य	1991 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या
1. अनुसूचित जनजाति (ST)	17532	19650	26041	63223
2. अनुसूचित जाति (SC)	—	—	10775	10775
3. अन्य (Others)	468	—	52980	53448
4. कुल	18000	19650	89796	127446

स्रोत —: नर्मदा भवन, भोपाल।

सरदार सरोवर परियोजनांतर्गत गुजरात, एवं महाराष्ट्र मध्यप्रदेश की जनसंख्या उपरोक्तानुसार प्रभावित हो रही है। इसमें अनुसूचित जनजाति (ST) गुजरात 17532, महाराष्ट्र 19650 और मध्य प्रदेश 26041 इस प्रकार कुल 63223 अनुसूचित जाति (SC) गुजरात में 0, महाराष्ट्र में 0 तथा मध्य प्रदेश 10775 इस प्रकार कुल 10775 (SC) लोग प्रभावित हो रहे हैं। अन्य में गुजरात के 468 महाराष्ट्र 0 तथा मध्य प्रदेश के 52980, इस प्रकार कुल 53448 अन्य जाति के लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार 1991 की जनगणनानुसार गुजरात के 18000 लोग महाराष्ट्र के 19650 तथा मध्यप्रदेश के 89796 लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार पूर्ण परियोजना में कुल 127446 लोग प्रभावित हो रहे हैं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों की अधिकांश आबादी एक बड़े भू-भाग से विस्थापित हो रही है। अतः जन-जातीय संस्कृति, उनकी जीवन शैली और परम्पराओं को बचाये रखना पुनर्स्थापन और पुनर्वास कार्यक्रम की योजना बनाते समय ध्यान में रखना अनिवार्य हो जाता है। मध्य प्रदेश की अधिकांश जनजाति में भिलाला और भील, महाराष्ट्र की तड़वी या वसवा समूह के लोग गुजरात के तड़वी, रथवा, डूगरी भील, वसवा और नायक जन-जातियाँ समूह सरदार सरोवर से प्रभावित हो रही है।

संबंधित साहित्य का अध्ययन —: मुकेश कुमार झा (2002) ने अपने शोध में लिखा है कि भाखड़ा बांध जिसे “आधुनिक युग का मंदिर” कहा जाता है, बड़े बांधों के विरोधियों के सामने एक चमकीली मिसाल की तरह पेश किया जाता है। आज के पंजाब, हरियाणा में कथित समृद्धि लाने वाले इस बांध की गाथा पूरे देश में सुनी सुनाई जाती है। नए भारत की इस कथित तीर्थ के अभिशाप को विस्थापन की तरह मांगने वाले लोगों की क्या हालत हुई? वे कहाँ गये? इसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। सरकार की तरफ से कोई कारगर कदम न उठाने से यह स्थिति आज बन गई है। मोदी अनुराग (2002) ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि विकासात्मक योजनाओं के चलते प्रत्येक राज्य में ऐसे लाखों आदिवासी हैं, जिनके पास वन भूमि का पट्टा नहीं है तथा सरकार के नियमों के चलते उन्हें कभी भी पट्टा नहीं मिल सकता है। यही कारण है कि पट्टे के अभाव में विस्थापित होने वाले आदिवासियों को भूमि के बदले में मुआवजा कम मिलता है जिससे प्राचीनकाल से जंगलों व पहाड़ों की ओर भागने वाले आदिवासी आज भी शासकीय नीतियों के चलते भागते चले जा रहे हैं।

फर्नांडीस वाल्टर (1995) में कहा है कि जबकि भारत के अनेक भागों में बेहतर पुनर्वास के लिए आंदोलन चल रहे हैं फिर भी विस्थापितों की पीड़ा दुःखदायी है तथा उनके लिए बेहतर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। विस्थापन की चपेट में आने वाली सर्वाधिक आबादी ग्रामीण ही है एवं समान्यतः इन क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर वैसे भी निम्न होता है। विभिन्न परियोजनाओं से होने वाला विस्थापन एवं पुनर्वास ग्रामीण लोगों को होने के साथ इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि ही होता है। एस. परशुराम (1994) ने कृष्णा नदी पर बने डॉम बांध से हुए विस्थापित लोगों की दुर्दशा का अध्ययन किया गया है उनमें कुछ लोगों ने सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का उपयोग करके विकास कर लिया लेकिन कुछ लोग इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले सके, इसके लिए शोधकर्ता ने स्थानीय प्रशासन को उत्तरदायी ठहराया। जिससे इन विस्थापित लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। नायक जे.पी. (1990) के अनुसार ज्यादा लाभ उन्हीं लोगों को हुआ है जिसके पास विस्थापन के पूर्व भी सम्पत्ति और ताकत थी। अधिकांश गरीब लोगों को बंजर जमीन और चंद अस्थायी नौकरियों मिली है जो मात्र शासन द्वारा इन ग्रामीण को बच्चों को लालीपाप दे कर समझा देने वाली

स्थिति जैसा ही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि समस्त विस्थापन में विस्थापित लोगों को नीति के अभाव में व्यवस्थित रूप से पुनः स्थापित करने में शासन असफल रही है। मो. आसिफ (2000) के अनुसार “परियोजना पुनर्वास अधिकारी मुख्यतः विस्थापित लोगों को पुनर्वासित करने के लिए जो जगह निश्चित करते हैं, वहाँ पर उन लोगों की जीविका को जीवित रखने के लिए आवश्यक विभिन्न पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं जिससे विस्थापित मुख्यतः जनजातीय लोग पुनर्वास के लिए निश्चित की गई जगह को नकार देते हैं।”

माथुर (1995) ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवास करता है या एक देश से दूसरे देश में कई कारणों जैसे युद्ध, राजनीतिक अराकता बेहतर जीवन जीने के लिए जाते हैं तो उनकी प्रथम समस्या पुनर्वास की होती है। यही विकास की प्रथम सीढ़ी होती है तत्पश्चात् वह उत्तरोत्तर विकास करता जाता है। वह विकास इस प्रकार करता जाता है कि एक दिन अपने पूर्व से बेहतर स्थिति पर आ जाता है, लेकिन जो गरीब पिछड़े अशिक्षित होते हैं, उनमें बहुत कम लोगों में अपने भावी जीवन को सोचकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, फलस्वरूप कई गरीब परिवार समय की धारा में बहकर अपने आप को विहिन कर देते हैं और उनका विकास समाप्त हो जाता है। 123 माइकल (1997) ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि आबादी का अनैच्छिक विस्थापन और पुनर्वास इतना व्यापक इतने बड़े पैमाने पर इतना जल्दी-जल्दी होता है, इतना जटिलता और दूरगामी है, कि इसका सामना करने के लिए पूरे अवधारणात्मक, विश्लेषणात्मक व कार्यकारी हुनर को लाभबंद करने की जरूरत होती है। स्थानीय विकासात्मक कार्य रूक जाता है व परस्पर बिखराव की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है, जिससे स्थानीय क्षेत्र पर संकट की घड़ी मंडराने लगती है। वे लोग अपने आपको 10-15 साल पीछे ढकेल लेते हैं और विकास की प्रक्रिया पुनः शुरू होने लगती है। डॉ. रामप्रताप गुप्ता एवं डॉ. गणेश कावडियाजी (2009) ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि गाँधी सागर के अधिकारियों द्वारा इस क्षेत्र के विस्थापितों को विस्थापन के बारे में न तो विश्वास में लिया नही उन्हें इस बारे में कोई जानकारी दी कि उन्हें कहाँ-कहाँ बसाया जाना है? बल्कि उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिये वे उनसे धोखाधड़ी करने से भी नहीं चूकें। उन्हें समुचित मुआवजा दिलाने में मदद करने के स्थान पर उन्होंने सस्ती बिजली, सरकार द्वारा उद्योगों का जाल बिछा देने से रोजगार के भारी अवसरों का सृजन आदि की भ्रामक संभावनाओं का दिवास्वप्न ही दिखाया। बाँध अधिकारियों ने यह कह कर कि विस्थापितों के लिये 45000 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी जायेगी, उन्हें भ्रमित किया। जबकि वास्तविकता इसके विपरीत थी। जब वितरण का समय आया तो मात्र 10 हजार एकड़ भूमि ही उपलब्ध थी, उसमें भी अधिकांश बंजर थी। यह सब इसलिये किया गया ताकि उनकी सहमति प्राप्त की जा सके। गाँधीसागर के विस्थापितों की परिसम्पत्ति के लिये जो अत्यधिक निम्न दरें निर्धारित की गई थी, इन दरों पर भी उन्हें पूरा-पूरा भुगतान नहीं किया गया। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि विस्थापितों के एक बड़े वर्ग को इन निम्नस्तरीय दरों पर भी भुगतान से वंचित किया गया। इस धोखाधड़ी के शिकार सीमान्त, छोटे कृषक एवं श्रमिक वर्ग के लोग ही रहे।¹⁰

अध्ययन के उद्देश्य —: वर्तमान सन्दर्भ में सरदार सरोवर बाँध के विस्थापितों की समस्याओं को लेकर छिड़े संघर्ष ने सरदार सरोवर बाँध से मिलने वाले लाभ को लम्बित कर दिया है। विलम्ब के कारण बहुमूल्य जल व्यर्थ हो रहा है तथा एक व्यापक असन्तोष व्याप्त हो रहा है। अतः इन परिस्थितियों में सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों की पुनर्बसाहट, पुनर्वास एवं समस्याओं का अध्ययन कर उनके निराकरण सम्बन्धी सुझाव राज्य शासन को दिया जाना अतिआवश्यक है ताकि शासन परियोजना के विस्थापितों के जीवन स्तरमें सुधार ला सके। अतः इस अध्ययन के उद्देश्य निम्न हैं —:

- 1) विस्थापित परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
- 2) सरदार सरोवर बाँध से विस्थापित परिवारों की आय, व्यावसायिक संरचना एवं रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करना।
- 3) सरदार सरोवर बाँध से पुनर्वास में होने वाली विभिन्न बाधाओं और समस्याओं का अध्ययन करना एवं पुनर्वास संबंधित नीतिगत एवं व्यवहारगत सुझाव देना।

अनुसंधान परिकल्पना —:

Ho1 :- “विस्थापन के पश्चात् विस्थापित परिवारों की मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय पर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।”

Ho2 :- “विस्थापन के पश्चात् विस्थापित परिवारों की कुल कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।”

Ho3 :- “विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् में विस्थापित परिवारों के पास उपलब्ध

सिंचाई साधनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।”

Ho4 :- “विस्थापन का विस्थापित परिवारों के कुल पशुधन के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।”

शोध प्रविधि :- नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन सरदार सरोवर बाँध परियोजना से बाँध कि ऊँचाई 121.92 मीटर करने से मध्यप्रदेश के कुल 192 गाँव प्रभावित एवं विस्थापित हुए हैं। जो कि सरदार सरोवर बाँध परियोजना से होने वाले सम्पूर्ण विस्थापित एवं प्रभावित गाँवों का 83.11 प्रतिशत है। परियोजना से होने वाले विस्थापन में विस्थापित होने वाले कुल परिवार 24421 हैं, जिसमें सर्वाधिक 18985 परिवार मध्यप्रदेश में बसने वाले परिवार हैं, जो कुल विस्थापित परिवारों 77.74 प्रतिशत है। कुल विस्थापित परिवारों में से गुजरात में बसने वाले परिवार 5456 हैं, जिनका प्रतिशत 22.34 है। इस परियोजना के कारण मध्यप्रदेश में कुल 192 गाँवों के निवासियों को 75 नव विकसित पुनर्वासित गाँवों में पुनर्वासित किया गया है। 125 अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के कुल 192 पुनर्वासित गाँवों में से 20 गाँवों का चयन निदर्शन विधि से किया गया है। गाँवों के चयन के पश्चात् प्रत्येक गाँव से 20-20 विस्थापित परिवारों का चयन दैव निदर्शन पद्धति से चयन किया गया है। इस तरह अध्ययन हेतु कुल 400 ग्रामीण परिवारों का चयन किया गया है। इन परिवारों कि आय, सामाजिक व्यवसायिक स्थिति, रोजगार की स्थिति, एवं अन्य समस्याओं से संबंधित आँकड़ों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया है।

विस्थापित परिवारों की व्यवसायिक संरचना, रोजगार तथा आय की स्थिति का विश्लेषण

किसी भी स्थिति में अच्छे जीवन स्तर के लिये हर व्यक्ति को कोई न कोई व्यवसायिक गतिविधि का संपादन आवश्यक रूप से करना ही पड़ता है। बगैर व्यवसाय के न आय संभव है न अच्छा जीवन स्तर। मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र को देखने पर पता चलता है कि राज्य के पश्चिमी जिलों झाबुआ, धार, बड़वानी एवं खरगौन में सामान्यतः सर्वाधिक रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग निवास करता है। इस प्रकार इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में जनजाति समुदाय ही बसता है एवं ये जनजातिय लोग अपने जीवन बसर के लिये कृषि व्यवसाय ही करते हैं। गुजरात में निर्माणाधीन सरदार सरोवर बाँध परियोजना से मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला मध्यप्रदेश राज्य का क्षेत्र भी पश्चिमी जिलें हैं। इस प्रकार सरदार सरोवर बाँध से विस्थापित व प्रभावित होने वाले परिवारों में सर्वाधिक परिवार ग्रामीण क्षेत्र के हैं। ग्रामिण क्षेत्र के होने के कारण ही इन परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं इससे संबंधित व्यापार है, तो कुछ परिवार मजदूरी करके अपना जीवन बसर करने वाले हैं। इन विस्थापित परिवारों की व्यवसायिक संरचना, रोजगार एवं आय की स्थिति को इस अध्याय में विश्लेषित किया गया है।

विस्थापित परिवारों की विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् में मुख्य व्यवसाय की स्थिति का विश्लेषण :- व्यवसायिक-संरचना से आशय किसी व्यक्ति एवं परिवार द्वारा किए जा रहे आर्थिक कार्य की अवस्था से है। यह व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। पाण्डे (1991) के अनुसार व्यवसायिक-संरचना एवं विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोगों का अनुपात आर्थिक प्रगति का अच्छा सूचक होता है।” दूसरे शब्दों में, व्यवसाय का व्यक्ति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अहम स्थान होता है। व्यवसाय द्वारा ही व्यक्ति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का निर्धारण होता है। सरदार सरोवर बाँध से विस्थापित परिवारों की विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् में व्यवसायिक-संरचना को तालिका क्र. 4 दर्शाया गया है:-

तालिका क्रमांक 4 –विस्थापित परिवारों की विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् में मुख्य व्यवसाय की स्थिति

मुख्य व्यवसाय	विस्थापन के पूर्व परिवारों की संख्या	प्रतिशत	विस्थापन के पश्चात् परिवारों की संख्या	प्रतिशत
कृषि	341	85.25	344	86.0
व्यवसाय	4	1.0	4	1.0
मजदूरी	47	11.75	46	11.5
नौकरी	8	2.0	6	1.5
योग	400	100.0	400	100.0

विस्थापित एवं प्रभावित परिवारों को विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् में इन परिवारों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले मुख्य व्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि विस्थापन के पूर्व सर्वाधिक (85.25 प्रतिशत) परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। साथ ही व्यवसाय (धंधा), मजदूरी एवं शासकीय तथा निजी संस्था में नौकरी करने वाले परिवारों की संख्या 14.75 प्रतिशत थी। विस्थापन के पश्चात् कृषि करने वाले परिवारों की संख्या भी

लगभग (86 प्रतिशत) उतनी ही है एवं व्यवसाय (धंधा), मजदूरी एवं शासकीय एवं निजी संस्था में नौकरी करने वाले परिवारों की संख्या भी विस्थापन के पूर्व जितनी ही है। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि विस्थापन का इन परिवारों के मुख्य व्यवसाय पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है।

विस्थापित एवं प्रभावित परिवारों की विस्थापन के पूर्व एवं बाद में मुख्य व्यवसाय से प्राप्त वार्षिक आय का विश्लेषण :- किसी भी व्यक्ति के जीवन-स्तर का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसकी आय का स्तर है और इसी आधार पर उनके जीवन-स्तर का भी अनुमान लगाया जा सकता है। तथा विभिन्न लोगों द्वारा अपने जीवन स्तर को सुदृढ़ बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के आर्थिक कार्य किए जाते हैं। इस विभिन्नता के कारण इनकी आय-संरचना में भिन्नता होना स्वाभाविक है। इस प्रकार आय-स्तर किसी भी व्यक्ति की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का महत्वपूर्ण पहलू एवं सूचक है। जैन (1995) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का ऋण एक प्रमुख संसाधन है। वित्त के अभाव में उनके द्वारा संपादित किये जाने वाले व्यवसाय को करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनके पास उनके मुख्य व्यवसाय कृषि को कतने के लिये बीज, खाद, दवाईयाँ और अन्य कृषि उपकरण खरीदने के लिए धन उपलब्ध नहीं होता है और धन के अभाव में उन्हें साहूकारों, महाजनों एवं विभिन्न संस्थाओं से ऋण लेना पड़ता है। उनके द्वारा लिए ऋण की ब्याज की दर अधिक होने तथा उसका समय पर भुगतान न कर पाने के कारण ये ग्रामीण ऋणग्रस्तता के जाल में फँस जाते हैं। इस वजह से उन्हें साहूकारों एवं महाजनों के शोषण का शिकार होना पड़ता है। 12 इसी प्रकार बाँध से विस्थापित होने वाले परिवारों की मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाली वार्षिक के संबंध में प्राप्त तथ्यों को क्रमांक 5 (क) में विश्लेषित किया गया है, जो कि इस प्रकार है :-

तालिका क्रमांक 4 (क) – विस्थापित एवं प्रभावित परिवारों की विस्थापन के पूर्व एवं बाद में मुख्य व्यवसाय से प्राप्त कुल वार्षिक आय (रूपयों में)

मुख्य व्यवसाय से प्राप्त कुल वार्षिक आय	विस्थापन के पूर्व परिवारों की संख्या	प्रतिशत	विस्थापन के पश्चात् परिवारों की संख्या	प्रतिशत
12000 से कम	82	20.5	118	29.5
12000-18000	118	29.5	92	23.0
18000-24000	41	10.25	51	12.75
24000-32000	56	14.0	44	11.0
32000-36000	14	3.5	13	3.25
36000 से अधिक	89	22.25	82	20.5
योग	400	100.0	400	100.0

सरदार सरोवर बाँध से विस्थापित एवं प्रभावित परिवारों को उनके द्वारा मुख्य व्यवसाय से अर्जित वार्षिक आय के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि विस्थापन के पूर्व सर्वाधिक 29.5 प्रतिशत परिवार वे परिवार हैं, जिनकी मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाली वार्षिक आय 12000-18000 के बीच थी। विस्थापन के पूर्व 12000 से कम आय प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या 20.5 प्रतिशत थी। इसी प्रकार 18000 से 36000 आय प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या लगभग 27.75 प्रतिशत थी एवं 36000 से अधिक आय प्राप्त करने वाले विस्थापित परिवार 22.25 प्रतिशत थे। लेकिन विस्थापन का इन विस्थापित परिवारों द्वारा मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जो विस्थापन के पश्चात् विस्थापित परिवारों द्वारा मुख्य व्यवसाय से अर्जित होने वाली आय के विश्लेषण से पता चलता है। विस्थापन के पश्चात् उन परिवारों की संख्या सर्वाधिक 29.5 प्रतिशत है, जिनकी मुख्य व्यवसाय से वार्षिक आय 12000 से कम है। जबकी विस्थापन के पूर्व इतने ही (29.5 प्रतिशत) परिवारों की मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय 12000-18000 के बीच थी। विस्थापन के पश्चात् 12000-18000 के बीच मुख्य व्यवसाय से वार्षिक आय अर्जित करने वाले परिवारों की संख्या कम हो कर 23 प्रतिशत रह गई है। विस्थापन का उन परिवारों की आय पर भी काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिन परिवारों की मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाली वार्षिक आय 18000 से 36000 के बीच थी। जिसके कारण विस्थापन के पूर्व 18000 से 36000 बीच वार्षिक आय प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या 27.75 प्रतिशत थी, उन परिवारों की संख्या कम होकर 26 प्रतिशत रह गई है। विस्थापन के पूर्व 36000 से अधिक आय प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या 22.25 थी, उनकी संख्या भी कम होकर 20.5 प्रतिशत रह गयी है। इन विस्थापित परिवारों कि विस्थापन के पूर्व मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाली वार्षिक औसत आय 30467 रुपये थी, वहाँ विस्थापन के पश्चात् विस्थापित परिवारों की मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाली कुल वार्षिक औसत आय 28767 रुपये हो गई है। इससे यह स्पष्ट होता है की सरदार सरोवर बाँध से विस्थापित परिवारों की मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय पर काफी

नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उपरोक्त तालिका के विश्लेषण के पश्चात् विस्थापित परिवारों की विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् में मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाली वार्षिक आय के मध्य स्वतंत्रता का परीक्षण ज्मेज व फ्दकमचमदकमदजद करने के लिए टी – पैयर्ड परीक्षण का उपयोग किया गया है। जिसके अन्तर्गत शून्य परिकल्पना शून्य निम्नलिखित है –

Ho1 :- “विस्थापन के पश्चात् विस्थापित परिवारों की मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय पर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।” इस परिकल्पना के परीक्षण के लिए तालिका में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार ज – Paired Test के जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, उन्हें तालिका क्र. 5 (ख) में दर्शाया गया है –

तालिका क्रमांक 5 (ख) – टी – पैयर्ड परीक्षण का विश्लेषण

विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् में मुख्य व्यवसाय से प्राप्त वार्षिक आय (रुपयों में)	Paired Differences						t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference					
				Lower	Upper				
विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् में मुख्य व्यवसाय से प्राप्त कुल वार्षिक आय (रुपयों में)	1700.000	18434.467	921.723	-112.041	3512.041	1.844	399	0.066	

अतः स्पष्ट है कि 10 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर “विस्थापन का विस्थापित परिवारों की मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाली वार्षिक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।” को निरस्त करता है। तथा विश्लेषण से स्पष्ट है कि विस्थापित परिवारों की विस्थापन के पश्चात् मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाली वार्षिक आय पर विस्थापन का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि विस्थापित होने वाले परिवारों में सर्वाधिक परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। विस्थापन के कारण जिन परिवारों की कृषि भूमि प्रभावित हुई है, उन परिवारों ने सरकार से कृषि भूमि के बदले कृषि भूमि न लेते हुए नगद राशी मुआवजे के रूप में ले ली, जिसका इन परिवारों द्वारा व्यवस्थित प्रबंधन न कर पाना है। अतः स्पष्ट है कि विस्थापन के पश्चात् विस्थापित होने वाले परिवारों की वार्षिक आय कम हुई है।

विस्थापित परिवारों की विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् भूमि के स्वामित्व की स्थिति का विश्लेषण :- विस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया है, जो की भयानक दुर्घटना की तरह है जिसके बसे-बसाएं परिवारों को व्यवस्थित स्थान से दूसरे स्थान पर बसने के लिये मजबूर कर देता है। जिसके कारण विस्थापित होने वाले परिवारों को अपना सब कुछ छोड़कर अन्य स्थान पर नये सिरे बसना पड़ता है। अतः विस्थापन विस्थापित होने वाले लोगों से जुड़ी हर चिजों को प्रभावित किये इगोर नहीं रहता। इसी प्रकार सरदार सरोवर बांध परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारों के भूमि स्वामित्व पर विस्थापन के पडने वाले प्रभाव के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए हैं, उन्हें अग्र तालिका क्रमांक 6 (क) में दर्शाया गया है –

तालिका क्रमांक 6 (क) – विस्थापित परिवारों की विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् भूमि के स्वामित्व की स्थिति (एकड़ में)

भूमि का स्वामित्व	विस्थापन के पूर्व परिवारों की संख्या	प्रतिशत	विस्थापन के पश्चात् परिवारों की संख्या	प्रतिशत
2-5 से कम	90	37.5	132	33.0
2.5-5	105	26.25	119	29.75
5-7.5	96	19.5	75	18.75
7.5 से अधिक	79	19.75	74	18.5
योग	400	100.0	400	100.0

विस्थापित परिवारों की विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् में भूमि के स्वामित्व की स्थिति को विश्लेषित किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि विस्थापन के पूर्व सर्वाधिक (37.5 प्रतिशत) विस्थापित परिवार 2.5 एकड़ से कम भूमि पर स्वामित्व रखने वाले थे। लेकिन विस्थापन के पश्चात् 2.5 एकड़ से कम भूमि पर स्वामित्व रखने वाले परिवारों की संख्या कम होकर 33 प्रतिशत रह गई है। दूसरी तरफ 2.5 से 5 एकड़ तक के भूमि क्षेत्र पर स्वामित्व रखने वाले विस्थापित परिवारों की संख्या विस्थापन के पूर्व 26.25 प्रतिशत थी, उन विस्थापित परिवारों की संख्या विस्थापन के पश्चात् बढ़कर 29.75 प्रतिशत हो गयी है। इसी प्रकार 5-7.5 एवं 7.5 से अधिक भूमि पर स्वामित्व रखने वाले परिवार विस्थापन के पूर्व 16.5 एवं 19.75 प्रतिशत थे, उन परिवारों की संख्या विस्थापन के पश्चात् 18.75 एवं 18.5 प्रतिशत हो गई है। विस्थापन के पूर्व विस्थापित परिवारों का औसत रूप से कुल 5 एकड़ भूमि पर स्वामित्व था, जो विस्थापन के पश्चात् बढ़कर 6 एकड़ भूमि हो गया है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि विस्थापन से विस्थापित परिवारों के भूमि स्वामित्व कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। उपरोक्त तालिका के

विश्लेषण के पश्चात् विस्थापित परिवारों की विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् में कुल कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व के मध्य स्वतंत्रता का परीक्षण (Test of Independent) करने के लिए ज – Paired Test का उपयोग किया गया है। जिसके अन्तर्गत शून्य परिकल्पना (Ho3) निम्नलिखित है –

Ho2 :- “विस्थापन के पश्चात् विस्थापित परिवारों की कुल कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।” इस परिकल्पना के परीक्षण के लिए तालिका में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार ज – Paired Test के जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, उन्हें तालिका क्र. 6 (ख) में दर्शाया गया है –

तालिका क्रमांक 6 (ख) – टी – पैयर्ड परीक्षण का विश्लेषण

विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् कुल कृषि योग्य भूमि पर स्वामित्व (एकड़ में)	Paired Differences						t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference					
				Lower	Upper				
विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् में कुल कृषि योग्य भूमि पर स्वामित्व (एकड़ में)	-19910	291483	0.94574	-048562	0.08742	-1.366	399	0.173	

अतः स्पष्ट है कि 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर शिश्थापन के पश्चात् विस्थापित परिवारों की मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसको स्वीकार करता है। तथा विश्लेषण से स्पष्ट है कि विस्थापित परिवारों की विस्थापन के पश्चात् कुल कृषि भूमि के स्वामित्व पर विस्थापन का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। जिसका प्रमुख कारण यह है कि जिन परिवारों की समस्त भूमि डूब गई है, उन्हें पुनर्वास एजेंसी द्वारा भूमि के बदले प्रदान की गई है। एवं जिन परिवारों की भूमि का कुछ हिस्सा डूब क्षेत्र में आया आया है, उन परिवारों ने पुनर्वास एजेंसी से नगद मुआवजा राशी प्राप्त की है, जिससे इन परिवारों पुनः कृषि योग्य भूमि खरीद ली है। तथा विस्थापन के पश्चात् इन परिवारों के कुल भूमि के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

विस्थापित एवं प्रभावित परिवारों के पास विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् में उपलब्ध सिंचाई साधनों की स्थिति का विश्लेषण :- वर्तमान पर्यावरण एवं मानसून को देखते हुए हर कृषक को अपना कृत्रिम सिंचाई का साधन करना ही पड़ता है, अगर उसे अपने व्यवसाय से वाजिफ उत्पादन करना है। जिससे वह वाजिफ उत्पाद कर अधिक से अधिक आय अर्जित कर अपनी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ता प्रदान कर सकता है। विस्थापित परिवारों के पास विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् में उपलब्ध सिंचाई के साधनों के संबंध में जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, अग्र तालिका क्रमांक 7 (क) में दर्शाया गया है :-

तालिका क्रमांक 7 (क) – विस्थापित एवं प्रभावित परिवारों के पास विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् में उपलब्ध सिंचाई साधनों की स्थिति

सिंचाई के साधन	विस्थापन के पूर्व परिवारों की संख्या	प्रतिशत	विस्थापन के पश्चात् परिवारों की संख्या	प्रतिशत
कोई साधन नहीं	152	38.0	145	36.25
कुंआ	34	8.5	35	8.75
न्दी	105	26.25	102	25.5
ट्यूबवेल	109	27.25	118	29.5
योग	400	100.0	400	100.0

तालिका क्रमांक 6 (क) में विस्थापन से मध्य प्रदेश के प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों के पास उपलब्ध सिंचाई के साधनों की स्थिति को विश्लेषित किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि विस्थापन के पूर्व सर्वाधिक संख्या 38 प्रतिशत उन परिवारों की है, जिनके पास सिंचाई का कोई भी साधन नहीं था। एवं विस्थापन के पश्चात् भी लगभग उतने ही परिवारों के सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार जिन परिवारों के पास सिंचाई के विभिन्न साधन उपलब्ध थे, वैसे ही विस्थापन के पश्चात् इन परिवारों के पास सिंचाई साधन उपलब्ध है। अतः विश्लेषण स्पष्ट है कि विस्थापन का इन विस्थापित परिवारों के सिंचाई के साधनों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। उपरोक्त तालिका के विश्लेषण के पश्चात् विस्थापित परिवारों की विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् में उपलब्ध सिंचाई के साधनों के स्वामित्व के मध्य स्वतंत्रता का परीक्षण (Test of Independent) करने के लिए ज – Paired Test का उपयोग किया गया है। जिसके अन्तर्गत शून्य परिकल्पना (Ho4) निम्नलिखित है –

Ho3 :- “विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् में विस्थापित परिवारों के पास उपलब्ध सिंचाई साधनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।” इस परिकल्पना के परीक्षण के

लिए तालिका में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार ज – Paired Test के जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, उन्हें तालिका क्र. 7 (ख) में दर्शाया गया है –:

तालिका क्रमांक 7 (ख) – टी- पैरिड परीक्षण का विश्लेषण

विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् में सिंचाई के सामान	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् में सिंचाई के सामान	.005	.750	.037	-.127	.137	-.1306	.008	.133

अतः स्पष्ट है कि 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर “विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् में विस्थापित परिवारों के पास उपलब्ध सिंचाई साधनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।” को स्वीकार करता है। तथा विश्लेषण से स्पष्ट है कि विस्थापित परिवारों के पास उपलब्ध सिंचाई के साधनों पर विस्थापन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। जिसका प्रमुख कारण यह है कि जिन परिवारों की समस्त भूमि डूब गई है, तथा भूमि के साथ-साथ इन परिवारों के सिंचाई साधन भी डूब गये हैं। जिनका इन परिवारों को नगद मुआवजा मिला है, जिससे इन परिवारों को आवंटित भूमि पर सिंचाई साधन पुनः उपलब्ध हो गये हैं।

विस्थापित एवं प्रभावित परिवारों के पास विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् में उपलब्ध पशुधन का विश्लेषण –: विस्थापित होने वाले परिवारों में सर्वाधिक परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि व्यवसाय में से पशुधन का महत्वपूर्ण स्थान है। विस्थापित परिवारों के पास उपलब्ध विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् में पशुधन के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए हैं, उन्हें अग्र तालिका क्रमांक 8 (क) में विश्लेषित किया गया है –:

तालिका क्रमांक 8 (क) – विस्थापित एवं प्रभावित परिवारों के पास विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् पशुधन की स्थिति

पशुधन की संख्या	विस्थापन के पूर्व परिवारों की संख्या	प्रतिशत	विस्थापन के पश्चात् परिवारों की संख्या	प्रतिशत
2 से कम	66	16.5	113	28.25
2-4	104	26.0	113	28.25
4-6	89	22.25	76	19.0
6-8	62	15.5	44	11.0
8 से अधिक	79	19.75	54	13.5
योग	400	100.0	400	100.0

मध्यप्रदेश में सरदार सरोवर बाँध परियोजना से प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों को विस्थापन के पूर्व एवं विस्थापन पश्चात् इन परिवारों के पास उपलब्ध पशुधन की स्थिति को विश्लेषित किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि विस्थापन के पूर्व 2 से कम पशुधन वाले परिवारों की संख्या कुल सर्वेक्षित परिवारों की 16.5 प्रतिशत थी। लेकिन विस्थापन के पश्चात् इन परिवारों की संख्या बढ़कर 28.25 प्रतिशत हो गई है। 2-4 पशुधन वाले विस्थापित परिवारों की संख्या विस्थापन के पूर्व 26 प्रतिशत थी, वे परिवार भी बढ़कर 28.25 प्रतिशत हो गया है। लेकिन विस्थापन के पूर्व जिन परिवारों के पास 4-6 एवं 6-8 तक पशुधन था, उन परिवारों की संख्या विस्थापन के पूर्व 22.25 एवं 15.5 थी। जो विस्थापन के पश्चात् इन परिवारों की संख्या कम होकर 19 व 11 प्रतिशत रह गयी है। साथ ही वे परिवार जिनके पास 8 से भी अधिक पशुधन था, उनकी संख्या विस्थापन के पूर्व कुल सर्वेक्षित परिवारों का 19.75 प्रतिशत थी, वह भी विस्थापन के पश्चात् कम होकर 13.5 प्रतिशत रह गये हैं। विस्थापन के पूर्व इन विस्थापित परिवारों के पास औसत रूप से 6 पशुधन था, जो कि विस्थापन के पश्चात् इन परिवारों के पास औसत पशुधन कम होकर 5 पशु रह गया है। इस प्रकार परियोजना से प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों के विस्थापन के पूर्व पशुधन अधिक हुआ करता था, लेकिन इतने बड़े विस्थापन ने इन परिवार से पशुधन छिना है, अतः विस्थापन के पश्चात् अधिक पशुधन रखने वाले परिवार काफी कम हो गये हैं। जिनकी संख्या विस्थापन के पूर्व अधिक थी। इस तरह विस्थापन ने इन परिवारों के पशुधन काफी क्षति पहुँचाई है, जो की शासन इसकी भरपाई नहीं कर पायी है। उपरोक्त तालिका के विश्लेषण के पश्चात् विस्थापित परिवारों की विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् में कुल पशुधन के स्वामित्व के मध्य स्वतंत्रता का परीक्षण जेम्स वॉल्डमैन-मदकमदजद्ध करने के लिए ज – Paired Test का उपयोग किया गया है। जिसके अन्तर्गत शून्य परिकल्पना (Ho5) निम्नलिखित है –

Ho4 :- “विस्थापन का विस्थापित परिवारों के कुल पशुधन के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।” इस परिकल्पना के परीक्षण के लिए तालिका में दर्शाए गए

आंकड़ों के अनुसार ज – Paired Test के जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, उन्हें तालिका क्र. 8 (ख) में दर्शाया गया है –:

तालिका क्रमांक 8 (ख) – टी- पैरिड परीक्षण का विश्लेषण

विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् में कुल पशुधन की संख्या	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् में कुल पशुधन की संख्या	1.100	3.591	0.180	0.747	1.453	6.127	399	0.000

अतः स्पष्ट है कि 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर “विस्थापन का विस्थापित परिवारों के कुल पशुधन के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।” को निरस्त करता है। विस्थापन के पश्चात् इन परिवारों के पास उपलब्ध पशुधन कम होने का कारण यह भी रहा है, की इनके पास इन पशुओं को चराने हेतु कोई चारागाह भी उनके पास नहीं बचा जहाँ ये परिवार अपने पशुओं को चरा सके। इन ग्रामीणों स्थिति वैसे ही पहले से कमजोर थी, जिसके कारण ये पशुओं को चारा खरीदकर खिलाने की स्थिति में नहीं थे। इस प्रकार इन विस्थापित परिवारों के पास विस्थापन के बाद कुल पशुओं की संख्या में कमी हुई है।

निष्कर्ष –:

सरदार सरोवर बाँध से विस्थापित होने वाले परिवारों की व्यवसायिक संरचना के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ है कि इन परिवारों सर्वाधिक 86 प्रतिशत परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, जिसका मुख्य कारण यह है कि विस्थापित होने वाले परिवारों में सर्वाधिक परिवार ग्रामीण है। एवं ग्रामीण परिवारों का सामान्यतः मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। विस्थापित परिवारों की मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय के विश्लेषण पता चला है कि विस्थापन के पश्चात् इन परिवारों की मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय औसत रूप से कम हुई है। इसी प्रकार इन परिवारों के मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य आय प्राप्ति के साधनों को भी विश्लेषित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हुआ है कि विस्थापन के पश्चात् इन परिवारों के अतिरिक्त आय प्राप्ति के साधनों पर भी विस्थापन का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जिसके कारण इन परिवारों द्वारा अतिरिक्त आय से जो आय प्राप्त होती थी, वह कम हुई है। परियोजना से विस्थापित परिवारों को उनके कुल भूमि स्वामित्व के आधार पर विश्लेषित किया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ है कि विस्थापन का इन परिवारों के कुल भूमि के स्वामित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण इन परिवारों की विस्थापन के पश्चात् कुल भूमि का स्वामित्व औसत रूप से बढ़ा है। भूमि स्वामित्व के अलावा इन परिवारों के पास उपलब्ध सिंचाई के साधनों से स्पष्ट हुआ है कि विस्थापन का इन परिवारों के सिंचाई साधनों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। विस्थापित परिवारों के पास उपलब्ध पशुधन के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ है कि विस्थापन के पश्चात् इन परिवारों का पशुधन के स्वामित्व में कमी हुयी है।

संदर्भ

- श्रीमाली कृष्ण मोहन श्राचीन भारतीय इतिहास” हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली । 1998, पेज नं. 32-67
- जैन दर्शनाचार्य गुलाबचन्द्र, भारतीय इतिहास-मदनमहल जनरल स्टोर्स राइट टाऊन जबलपुर (म.प्र.) 1969, पेज नं. 5-15
- डॉ. मुकेश कुमार ‘भाखड़ा बाँध के विस्थापितों’ देशबंधु प्रकाशन, रायपुर । 12 जून 2002 पेज 5
- मोदी अनुराग आदिवासियों को जंगल से भगाने की साजिश, देशबंधु प्रकाशन, रायपुर । 7 अगस्त 2002 पेज 86
- Fernanda Walter – Social Action Vol. 40 1994 P. No. 221-225
- Parasuraman S. “Resettlement and Prohibition of Project Displaced people, Main in India 74:2 June 1994 PP 103-129
- नायक जे.पी. रिसेटलमेंट एग्रोपोलाजी एण्ड दी अपर कृष्णा यूरीगेशन प्रोजेक्ट करंट साइंस 59.2 1990
- Mohammed Asif – Why Displaced Persons Reject Project Resettlement Colonies” Economics and Political Weekly June 10, 2000 Vol XXXV No. 24 pp 2005-2006
- माथूर “रिसेटलमेंट एण्ड डेवलपमेंट” विकास पब्लिकेशन, नई दिल्ली 1995
- माइकल एम सोलिया “डिस्प्लेसमेंट एण्ड रिन्डबिलिटेशन विकास पब्लिकेशन,

मध्य प्रदेश में सरदार सरोवर बांध परियोजना से विस्थापित परिवारों की व्यवसायिक संरचना, रोजगार तथा आय की स्थिति का मूल्यांकन

Impact Factor : 1.2018(GISI)

नई दिल्ली 1997

11. Pande, P.K. (1991), Tribal occupation & New dynamics, Mittal publications, New Delhi, P. 12

12. Sachchidanand (1978), Social Structure, Status & Alobility Patterns – The Case of Tribal Women, Man of India, Vol. 58, No. 1, Jan-March. P. 12

Publish Research Article International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished research paper.Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review of publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- * International Scientific Journal Consortium Scientific
- * OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.net